[2020] 5 एस. सी. आर. 669

यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम

क.

सेटीन्डर कौर @सेटीन्डर कौर और हमारा। (2020 की सिविल अपील संख्या 2705)

30 जून, 2020

[एस**.** अब्दुल नजीर**,** इंदु मल्होत्रा और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर वाहन दुर्घटना-मृत्यु-क्षतिपूर्ति-गणना-1984 से कतर में रह रहा व्यक्ति नवंबर 1998 में भारत का दौरा कर रहा था, जब वह स्कूटर की सवारी करते समय, अपनी पत्नी के साथ पीछे की सवारी करते हुए, विपरीत दिशा से आ रही एक मारुति कार के साथ एक दुर्घटना का शिकार हो गया-न्यायाधिकरण ने मुआवजे की गणना 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 1,90,000 की।-उच्च न्यायालय ने कुल मुआवजे की गणना Rs.96,78,000 प्रति वर्ष की दर से 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ की।-आयोजितःदावेदारों द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, मृतक की आय की गणना एक कुशल मजदूर के रूप में 1984 में 750 कतरी रियाल पर उसका मूल वेतन लेकर की गई, जैसा कि उसके रोजगार अनुबंध प्रपत्र में परिलक्षित होता है-10 प्रतिशत की वृद्धि लेकर।पी. ए. 1984 से 1998 तक मृतक की अनुमानित आय 2590 कतरी रियाल प्रति दिन तय की गई है, जिसे 2600 कतरी रियाल प्रति दिन तय किया गया है-1998-1 कतरी रियाल में प्रचलित विनिमय दर 12.41 आई. एन. आर.-मृतक की आय-2600 x 12.41 = रु. के बराबर थी। 32, 266 पी. एम. अर्थात रु. 3,87,192 p. a.-उच्च न्यायालय ने उनकी आय का 50 प्रतिशत व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए काट लिया-इसके अलावा, प्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, 30 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं को सम्मानित किया जाना है-इस प्रकार, मुआवजे की गणना के लिए गुणक राशि रु। 3,87,192-50% + 30% = रु. 2,51,675-मृतक की मृत्यु के समय आयु 40 वर्ष थी, तदनुसार, सरला वर्मा मामले के अनुसार 15 का गुणक उपयुक्त गुणक होगा।निर्भरता का नुकसान रु. 2,51,675 x 15 = Rs.37,75,125-पारंपरिक शीर्षों के तहत दी गई राशि भी-एम. ए. सी. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा अंशदायी लापरवाही के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की पुष्टि की जाती है-कुल 82,563/- का मुआवजा दिया जाता है-आश्रित पिछले 22 वर्षों से कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं-दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर प्राप्ति तक कुल मुआवजे पर ब्याज @12% पी. ए. का भुगतान किया जाए-दावेदार संख्या 1, मृतक की विधवा

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

669 ए.

इस दुर्घटना में 25 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा-अकेले अपने तीन नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण किया, और कृषि गतिविधि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाई-कुल मुआवजे (ब्याज सहित) का 50 प्रतिशत उसे दिया जाए और शेष 50 प्रतिशत तीन बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाए।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

1. 1 1984 में मृतक की आय उसके दिनांकित रोजगार अनुबंध प्रपत्र **(**आई**.** डी**. 1)** के अनुसार **750** कतरी रियाल प्रति दिन थी। इस दस्तावेज़ को दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था।दावेदारों द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अभाव में**,** मृतक की आय की गणना एक कुशल मजदूर के रूप में **1984** में **750** कतरी रियाल पर उसका मूल वेतन लेकर की जानी चाहिए**,** जैसा कि उसके रोजगार अनुबंध प्रपत्र में दर्शाया गया है।मृतक की पासपोर्ट प्रविष्टियों के अवलोकन से पता चलता है कि वह **1998** में निधन होने तक कतर में **14** साल से अधिक समय तक नौकरी में रहा था।वह स्पष्ट रूप से काफी अच्छा कर रहे थे**,** क्योंकि दोहा में उनके **14** वर्षों के प्रवास के दौरान उनके पासपोर्ट में विदेश यात्रा की कई प्रविष्टियां हैं।**1984** से **1998** तक प्रति वर्ष **10** प्रतिशत की वृद्धि लेने से मृतक की अनुमानित आय **2590** कतरी रियाल पर निर्धारित की जा सकती है**,** जिसे **2600** कतरी रियाल पर पूरा किया जा सकता है। **1998** में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार**, 1** कतरी रियाल **12.41 INR** के बराबर था। तदनुसार**,** मृतक की आय **2600 x 12.41 =** रु**.** होगी। **32, 266** पी**.** एम**.** अर्थात रु**. 3,87,192** पी**.** ए**.** यद्यपि सरला वर्मा में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यक्तिगत और रहन**-**सहन के खर्चों के लिए कटौती एक चौथाई होनी चाहिए**,** यदि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या चार है**,** तो वर्तमान मामले में मृतक की आय का **50** प्रतिशत काटना आवश्यक होगा**,** क्योंकि वह विदेश में रह रहा था।मृतक को वहाँ एक प्रतिष्ठान रखना पड़ता था**,** और विदेश में रहने की उच्च लागत के अनुरूप उसी के लिए खर्च करना पड़ता था।इसलिए**,** उच्च न्यायालय ने उनकी आय का **50** प्रतिशत व्यक्तिगत और रहन**-**सहन के खर्चों में काट लिया।**[**पैरा **9.1,9.2] [688-**एच**; 689-**ए**; 690-**डी**-**एच**; 691-**ए**-**बी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

सरला वर्मा और ओआरएस. वी.दिल्ली परिवहन निगम और

एन. आर. (2009) 6 एससीसी 121:[2009] 5 एससीआर 1098-पर भरोसा किया गया।

एच.

671

क.

1.2 वर्तमान मामले में**,** निचली अदालतें भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि देने में विफल रहीं।मृत्यु के समय मृतक की आयु **40** वर्ष से अधिक थी।प्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार**,** दावेदारों को देय मुआवजे की गणना के लिए भविष्य की संभावनाओं को **@30%** प्रदान किया जाना है।इसलिए मुआवजे की गणना के लिए गुणक राशि रु। **3,87,192-50% + 30% =** रु। **2,51,675**।मृतक सतपाल सिंह की मृत्यु के समय उनकी आयु **40** वर्ष थी। तदनुसार**,** सरला वर्मा में निर्धारित तालिका के अनुसार **15** का गुणक उपयुक्त गुणक होगा।रुपये के गुणक को गुणा करना। **2,51,675 15** के गुणक से**,** दावेदारों को देय निर्भरता का नुकसान रु। **37,75,125**।जहाँ तक पारंपरिक प्रमुखों का संबंध है**,** मृतक सतपाल सिंह अपने पीछे एक विधवा और तीन बच्चों को आश्रित के रूप में छोड़ गए।प्रणय सेठी और मैग्मा जनरल के निर्णयों के आधार पर**,** पारंपरिक शीर्षों के तहत निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

ग

डी.

(i) संपत्ति का नुकसानःरु**. 15, 000)** संघ का नुकसानः

क**)** पति**-**पत्नी संघःरु**. 40, 000**

ख**)** माता**-**पिता का संघः**40,000 x3 =** रु। **1,20,000 iii)** अंतिम संस्कार का खर्चःरु**. 15, 000**

ई.

एम**.** ए**.** सी**.** टी**.** और उच्च न्यायालय द्वारा अंशदायी लापरवाही के लिए की गई **50** प्रतिशत की कटौती की पुष्टि की जाती है। **[**पैरा **9.3-9.8] [691-**सी**-**एच**; 692-**ए**]**

च

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामप्रणय सेठी और अन्य।

(2017) 16 एससीसी **680:[2017] 13** एस**.** सी**.** आर**. 100-**फॉलो किया गया।

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनानू राम और ओआरएस।

(2018) 18 एस**.** सी**.** सी**. 130-**पर निर्भर।

1.3 दावेदारों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। **19,82,563**।मृतक सतपाल सिंह की मृत्यु **18.11.1998** पर हुई थी।उसके आश्रित पिछले **22** वर्षों से मुआवजे के लिए कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं।परिणामस्वरूप**,** दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक दिए गए कुल मुआवजे पर ब्याज **@12%** प्रति वर्ष का भुगतान किया जाना चाहिए।दावेदार नं**.**

जी.

एच.

672 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

क.

1 अर्थात मृतक की विधवा को इस दुर्घटना में **25** प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है।उन्होंने अकेले अपने तीन नाबालिग बच्चों का पालन**-**पोषण किया है**,** और कृषि गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाई है।**50%** कुल मुआवजे में से **(**ब्याज सहित**)** दावेदार संख्या **1** अर्थात मृतक की विधवा को दिया जाए और शेष **50** प्रतिशत तीन बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाए।**[**अनुच्छेद **10,13** और **14] [692-**ए**; 693-**ए**-**बी**]**

रेशमा कुमारी और ओआरएस. वी.मदन मोहन और अन्र। (2013) 9 एससीसी 65; मुन्ना लाल जैन और अन्य बनामविपिन कुमार

शर्मा और ओआरएस। (2015) 6 एससीसी 347:[2015] 7 एससीआर 207;

रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाममंडला

ग

यादगारी गौड़ और ओआरएस। (2019) 5 एससीसी 554:[2019] 6 एस. सी. आर. 941-पर निर्भर।

महाप्रबंधक, केरल S.R.T.C, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य। (1994) 2 एससीसी 176; U.P.S.R.T.C. और ओआरएस. वी.त्रिलोक चंद्र और ओआरएस। (1996) 4

डी.

एससीसी 362:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 443; नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनामचार्ली एंड ऑर्स। (2005) 10 एस. सी. सी.

720 :[2005] 2 एससीआर 1173; सुबे सिंह और अन्य बनामश्याम सिंह (मृत) और अन्य। (2018) 3 एससीसी 18: [2018] 1 एससीआर

636; सुनीता टोकस और ओआरएस. वी.न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड और ओआरएस। 2019 (11) स्केल 24-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

[2009] 5 एससीआर **1098**

पर भरोसा किया

पैरा **8**

(2013) 9 एससीसी **65**

पर भरोसा किया

पैरा **8**

च

[2017] 13 एससीआर **100**

पीछा किया।

पैरा **8**

(1994) 2 एससीसी **176**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1996] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 443** पैरा **8 [2005] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1173** पैरा **8 [2015] 7** एस**.** सी**.** आर**. 207** को संदर्भित

जी.

पर भरोसा किया

पैरा **8**

[2018] 1 एससीआर **636**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2019] 6 एससीआर **941**

पर भरोसा किया

पैरा **8**

(2018) 18 एससीसी **130**

पर भरोसा किया

पैरा **8** ए

एच.

673

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2020 की सिविल अपील संख्या 2705।

2001 के एफ. ए. ओ. सं. 2294 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 10.03.2014 के निर्णय और आदेश से।सह

2020 की सिविल अपील संख्या 2706।

रवि बख्शी, यशपाल ढींगरा, गगन गुप्ता, अनंत मिश्रा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ग

इंदू मल्होत्रा**,** जे**.**

अनुमति प्रदान की गई।

1. मृतक-सतपाल सिंह 1984 से दोहा, कतर में रह रहा था।मृतक के आई. डी. 1 दिनांकित रोजगार अनुबंध प्रपत्र से पता चला कि वह शुरू में 750 कतरी रियाल पी. एम. के वेतन पर एक वर्ष की अवधि के लिए एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था, और कतर में रहता रहा, जहाँ वह कार्यरत था, जब तक कि 1998 में भारत में एक मोटर वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं हो गई।

डी.

2. सतपाल सिंह नवंबर, 1998 में भारत की यात्रा पर आए थे।18.11.1998 पर, वह अपनी पत्नी के साथ स्कूटर चला रहा था, जब वह एक मारुति कार के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया, जिस पर नंबर 1 था। CH-01-M-6284 विपरीत दिशा से आ रहा है।

ई.

दोषी कार के चालक और मालिक के खिलाफ पी. एस. सदर, राजपुरा में आई. पी. सी. की धारा 304 ए, 279,337,427 के तहत आई. डी. 1 दिनांकित एफ. आई. आर. सं. 204 दर्ज की गई थी।

च

मृतक की विधवा सतिंदर कौर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने कहा था कि दुर्घटना मारुति कार के चालक की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।यह आगे कहा गया कि दुर्घटना तब हुई जब उनके पति एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक कर रहे थे, जब मारुति कार विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही थी।इससे दुर्घटना हुई और सतपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

जी.

दावेदार नंबर 1 यानी मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।उसका दाहिना पैर और जबड़ा टूट गया था।दावेदार नंबर 1 एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहा।उसके पैर में एक छड़ डाली गई, और ए

एच.

लगभग 7 से 8 महीने तक प्लास्टर में रहे।दुर्घटना के कारण 25 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हो गई, जो सिविल सर्जन, पटियाला द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र से उत्पन्न होती है।

3. मृतक की विधवा ने अपने और अपने 3 नाबालिग बच्चों की ओर से अपने पति की मृत्यु पर मुआवजे के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एम. ए. सी. आवेदन संख्या 152 वाली दावा याचिका एम. ए. सी. टी., पटियाला (पंजाब) के समक्ष दायर की थी।दावेदारों ने मुआवजे के लिए एक लाख रुपये की मांग की। बीमा कंपनी और मारुति कार के चालक और मालिक द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से ब्याज @18% प्रति वर्ष के साथ 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

3.1.एफ. आई. आर. की एक प्रति एम. ए. सी. टी. के समक्ष रखी गई थी, साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर सड़क दुर्घटना के कारण लगी गंभीर चोटों को दर्ज किया गया था।

ग

3.2.दावेदारों ने दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा प्रमाणित रोजगार अनुबंध प्रपत्र की एक फोटोकॉपी दाखिल की, जिसमें मृतक की अली अल फयाद ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एस्ट, दोहा फर्म द्वारा एक मजदूर के रूप में सगाई दर्ज की गई है, जब वह पहली बार कतर स्थानांतरित हुआ था।

डी.

3.3.दावेदारों ने रिकॉर्ड पर एक पत्र भी रखा जो कथित तौर पर उनके नियोक्ता-हाई स्पीड ग्रुप द्वारा काउंसलर, न्यूजीलैंड वाणिज्य दूतावास को वीजा जारी करने के लिए जारी किया गया था।यह कहा गया था कि उनकी कंपनी के महाप्रबंधक श्री सतपाल हरबंस सिंह जून-अगस्त 1997 के दौरान न्यूजीलैंड में अपनी वार्षिक छुट्टी बिताने का इरादा रखते थे, और 1984 से इस संगठन में कार्यरत थे, और अब उन्हें 6,700 डॉलर प्रति माह का वेतन मिल रहा है।

ई.

च

यह ध्यान देने योग्य है कि इस पत्र को दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

3.4.दावेदारों ने मृतक का पासपोर्ट रिकॉर्ड में रखा, जिसमें उसकी जन्म तिथि 10.08.1958 के रूप में दिखाई देती है। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 40 वर्ष से थोड़ी अधिक थी।

जी.

पासपोर्ट प्रविष्टियों से पता चलता है कि 1986 से 1998 की अवधि के दौरान लगातार विदेश यात्रा की गई थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी।

एच.

4. एम. ए. सी. टी. ने दिनांक 30.03.2001 के पुरस्कार के माध्यम से कहा कि एफ. आई. आर. में मृतक की विधवा-दावेदार संख्या 1 द्वारा दिए गए पहले बयान के अवलोकन से पता चला है कि जब दुर्घटना हुई तो उसका पति एक ट्रैक्टर-ट्रॉली

को ओवर-टेक कर रहा था, क्योंकि मारुति कार विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही थी।नतीजतन, एम. ए. सी. टी. ने माना कि यह मृतक सतपाल सिंह की ओर से और मारुति कार के चालक की ओर से भी अंशदायी लापरवाही का मामला था।

4.1.एम. ए. सी. टी. ने 13 का गुणक लागू किया, क्योंकि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 40 वर्ष से थोड़ी अधिक थी।
4.2.मृतक की आय के संबंध में, एम. ए. सी. टी. ने माना कि हाई स्पीड समूह द्वारा जारी किया गया दिनांकित पत्र दावेदारों द्वारा साबित नहीं किया गया था, न ही इसे दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया गया था, और इसलिए इसे ध्यान में रखने से इनकार कर दिया।

ग

4.3.एम. ए. सी. टी. ने मान लिया कि मृतक सतपाल सिंह की आय का आकलन एक साधारण कुशल श्रमिक के रूप में किया जाना चाहिए, और उनकी आय का आकलन रु। 4, 000 बजे। निर्भरता की राशि रुपये के रूप में ली गई थी। 2500 पी. एम. x 12 x 13 = रु. 3. 90 लाख।चूंकि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था, इसलिए मुआवजे में 50 प्रतिशत की कमी की गई, जो बढ़कर रु। 1. 80 लाख।रु. की राशि। अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 10,000 का पुरस्कार दिया गया।

डी.

ई.

रुपये का मुआवजा। 1,90,000 पर दावा दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

4.4.एम. ए. सी. टी. ने तीनों उत्तरदाताओं यानी मारुति कार के चालक, कार के मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।5. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, दावेदारों ने आगे की वृद्धि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एफ. ए. ओ. संख्या <आई. डी. 1] के रूप में एक अपील दायर की।

च

जी.

5.1.उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.03.2014 के विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से अंशदायी लापरवाही के संबंध में MACT के निष्कर्षों को बरकरार रखा।

5.2.मृतक की आय के संबंध में, उच्च न्यायालय ने ए जारी किए गए 27.06.1997 दिनांकित पत्र के आधार पर कार्यवाही की।

एच.

हाई स्पीड ग्रुप द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि सतपाल सिंह एक महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, और 6,700 डॉलर प्रति मिलियन का वेतन प्राप्त कर रहे थे। 2,68,000 अपराह्न उस समय जब दावा दायर किया गया था।5.3.उच्च न्यायालय ने आय के आधार पर मुआवजे का आकलन किया। 2,68,000 अपराह्न और 12 के गुणक को अपनाया।

परिवार के लिए योगदान उनकी आय का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जो लगभग रु। 1,34,000 दोपहर रु. संपत्ति के नुकसान के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 10,000।

ग

इस आधार पर, दावेदारों को देय कुल मुआवजे की गणना रु। 96,78,000 अंशदायी लापरवाही के लिए 50 प्रतिशत की आंशिक कटौती करने के बाद।उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि आय का 50 प्रतिशत पत्नी और बच्चों को प्रदान किया गया था, इसलिए संघ के नुकसान और प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं था।5.4.उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसे मृतक की विधवा और बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर दावा दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।6. अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने विवादित फैसले को चुनौती देने के लिए एसएलपी (सिविल) संख्या 28548/2014 दायर की।

डी.

ई.

दावेदारों ने मुआवजे में और वृद्धि का दावा करते हुए एसएलपी (सिविल) संख्या 12520/2015 वाली एसएलपी भी दायर की।

च

7. हमने निम्नलिखित न्यायालयों के समक्ष अभिलेख पर रखे गए अभिवचनों और दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया है, और पक्षकारों के वकील द्वारा की गई मौखिक दलीलों पर विचार किया है।

जी.

हमारा विचार है कि एम. ए. सी. टी. और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णयों को दरकिनार किया जाना चाहिए, और मुआवजे को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बताए गए कानून के अनुसार दिए जाने की आवश्यकता है।

एच.

677

क.

8. न्यायिक आदेश द्वारा विकसित मृत्यु के मामलों में मुआवजे के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक सिद्धांत।

मृत्यु के मामले में मुआवजे का आकलन करने के लिए जिन मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए, वे हैंः((i) मृत्यु के समय मृतक की आयु; (ii) मृतक द्वारा छोड़े गए आश्रितों की संख्या; और (iii) मृत्यु के समय मृतक की आय।

सरला वर्मा और ओआरएस. वी.दिल्ली परिवहन निगम और अन्य, 1

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्भरता के नुकसान पर पहुंचने के लिए न्यायाधिकरण को तीन कारकों पर विचार करना चाहिएः–

i) आय तक पहुँचने के लिए किए जाने वाले जोड़/कटौती;(ii) मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए की जाने वाली कटौती; और

ग

(iii) मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणक।

डी.

क्षतिपूर्ति देने में एकरूपता और निरंतरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करने की आवश्यकता हैः–

“ चरण 1 (गुणक को प्रमाणित करना)

मृतक की वार्षिक आय निर्धारित की जानी चाहिए।उक्त आय में से उस राशि के संबंध में कटौती की जानी चाहिए जो मृतक ने व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के रूप में खुद पर खर्च की होगी।शेष राशि, जिसे आश्रित परिवार में योगदान माना जाता है, गुणक का गठन करता है।

ई.

चरण **2 (**गुणक को प्रमाणित करना**)**

च

मृतक की आयु और सक्रिय कैरियर की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त गुणक का चयन किया जाना चाहिए।इसका मतलब यह नहीं है कि वह कितने साल जीवित रहा होगा या उसने काम किया होगा, बल्कि दुर्घटना के लिए यह पता लगाना है। जीवन और आर्थिक कारकों में कई अभेद्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा आयु के संदर्भ में गुणकों की एक तालिका की पहचान की गई है।मृतक की आयु के संदर्भ में उक्त तालिका से गुणक का चयन किया जाना चाहिए।

जी.

1 (2009) 6 एससीसी 121।

एच.

678 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

क.

चरण **3 (**वास्तविक गणना**)**

परिवार में वार्षिक योगदान (गुणक) जब इस तरह के गुणक से गुणा किया जाता है तो परिवार को 'निर्भरता का नुकसान' होता है।इसके बाद, रुपये की सीमा में एक पारंपरिक राशि। 5, 000/- से रु। 10, 000/- को संपत्ति के नुकसान के रूप में जोड़ा जा सकता है।जहाँ मृतक के परिवार में उसकी विधवा है, वहाँ संघ के नुकसान के शीर्ष के तहत 5,000/- से 10,000/- की सीमा में एक और पारंपरिक राशि जोड़ी जानी चाहिए।लेकिन मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को हुई पीड़ा, पीड़ा या कठिनाई के शीर्ष के तहत कोई राशि प्रदान नहीं की जानी है।

अंतिम संस्कार का खर्च, शव के परिवहन का खर्च (यदि किया गया हो) और मृत्यु से पहले मृतक के किसी भी चिकित्सा उपचार का खर्च (यदि किया गया हो) भी जोड़ा जाना चाहिए।"

ग

(जोर दिया गया)

(क**)** व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती

डी.

परिवार के लिए योगदान पर पहुंचने के लिए मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च को आय से काटा जाना चाहिए।सरला वर्मा (उपर्युक्त) (पैरा 30,31 और 32) में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि मृतक के व्यक्तिगत और जीवन व्यय शीर्ष के तहत की जाने वाली कटौती को मानकीकृत करना आवश्यक था।

ई.

तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया किः

• यदि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या दो से तीन है, तो जहाँ मृतक विवाहित था, वहाँ व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई होनी चाहिए।

• 1/4 यदि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या चार से छह है; और

च

• 1/5 यदि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है।• यदि मृतक कुंवारा था, और दावा माता-पिता द्वारा दायर किया गया था, तो कटौती आम तौर पर कुंवारा के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में 50 प्रतिशत होगी।

जी.

इसके विपरीत साक्ष्य के अधीन, पिता की अपनी आय होने की संभावना थी, और उन्हें आश्रित नहीं माना जाएगा।इसलिए, केवल माँ को ही आश्रित माना जाएगा।

एच.

679

क.

इसके विपरीत किसी भी साक्ष्य के अभाव में, मृत कुंवारे के भाइयों और बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे आमतौर पर या तो स्वतंत्र और कमाने वाले होते हैं, या विवाहित होते हैं, या पिता पर निर्भर होते हैं।इस प्रकार, भले ही मृतक के माता-पिता और भाई-बहन बच गए हों, केवल माँ को ही आश्रित माना जाएगा।कुंवारे के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 50 प्रतिशत होगी, और 50 प्रतिशत परिवार के लिए योगदान होगा।

• हालांकि, ऐसे मामले में जहां कुंवारे का परिवार बड़ा था और मृतक की आय पर निर्भर था, जैसे कि ऐसे मामले में जहां उसकी विधवा मां थी, और बड़ी संख्या में छोटी गैर-कमाई करने वाली बहनें या भाई थे, उसके व्यक्तिगत और रहने के खर्च को 1/3 तक सीमित किया जा सकता है, और परिवार में योगदान को 2/3 के रूप में लिया जा सकता है।

ग

रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ।मदन मोहन

डी.

& ए. एन. आर., 2 ने व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती के संबंध में सरला वर्मा (उपरोक्त) में निर्धारित मानकों की पुष्टि की और कहा कि इन मानकों का सामान्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि प्रस्थान का मामला नहीं बनाया जाता है।न्यायालय ने कहाः

“41. उपरोक्त व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए उचित कटौती के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।यह ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति की शुद्ध आय का अनुपात जो वह बचाता है या विशेष रूप से दूसरों के रखरखाव के लिए खर्च करता है, वह उसके जीवन यापन के खर्च का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह जो विशेष रूप से खुद पर खर्च करता है वह करता है।परिवार में आश्रित सदस्यों की संख्या के संदर्भ में व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के कारण कटौती का प्रतिशत भिन्न हो सकता है और मृतक के व्यक्तिगत रहने के खर्च आश्रितों की संख्या के बिल्कुल अनुरूप नहीं होने चाहिए।

ई.

च

42. हमारे विचार में, इस न्यायालय द्वारा सरला वर्मा 2009 (6) एस. सी. सी. 121 में पैराग्राफ 30,31 और 32 में व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए कटौती के पहलू पर निर्धारित मानकों का सामान्य रूप से तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक कि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित परिस्थितियों में विचलन का मामला नहीं बनाया जाता है।"

जी.

2 (2013) 9 एससीसी 65।

एच.

680 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

क.

43. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें हम अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार देते हैंः

...

43.6.जहाँ तक व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती का संबंध है, यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायाधिकरण सामान्य रूप से सरला वर्मा 2009 (6) एस. सी. सी. 121 में निर्णय के पैराग्राफ 30,31 और 32 में निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, बशर्ते कि ऊपर पैरा 38 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियाँ हों।..."

(जोर दिया गया) राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ बनामप्रणय सेठी और अन्य, 3 ने अभिनिर्धारित किया कि सरला वर्मा (उपरोक्त) में निर्धारित मानक व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के प्रति उचित कटौती के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, और पैरा 43.6 में निष्कर्ष की पुष्टि की।

ग

रेशमा कुमारी (ऊपर)।

(ख**)** गुणक का निर्धारण

डी.

गुणक के संबंध में, अदालत ने सरला वर्मा (उपरोक्त) मामले में, सामान्य निर्णयों पर विचार करने के बाद, मृतक की उम्र के अनुसार लागू गुणक तय करने के लिए एक चार्ट तैयार किया।

प्रबंधक, केरल S.R.T.C, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य, 4 यू. पी. S.R.T.C. और अन्य बनाम।त्रिलोक चंद्र एंड ओआरएस, 5 और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लिमिटेड वी.चार्ली एंड ऑर्स। 6.

ई.

उक्त चार्ट से प्रासंगिक उद्धरण अर्थात कॉलम 4 तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः–

मृतक की आयु	गुणा करें (कॉलम 4)
15 साल तक	- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -
15 20 साल तक	18
21 25 साल तक	18
26 30 साल तक	17
31 35 साल तक	16

च

जी.

3 (2017) 16 एससीसी 680। 4 (1994) 2 एससीसी 176। 5 (1996) 4 एससीसी 362। 6 (2005) 10 एससीसी 720।

एच.

681

36 40 साल तक	15
41 45 साल तक	14
46 50 साल तक	13
51 55 साल तक	11
56 60 साल तक	9
61 65 वर्ष तक	7
65 वर्ष से अधिक	5

क.

ग

सरला वर्मा (ऊपर) मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः– “42. इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किया जाने वाला गुणक उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित होना चाहिए (सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया), जो 18 (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लिए) के ऑपरेटिव गुणक के साथ शुरू होता है, हर पांच साल के लिए एक इकाई कम किया जाना चाहिए, जो कि 26 से 30 वर्ष के लिए एम-17,31 से 35 वर्ष के लिए एम-16,36 से 40 वर्ष के लिए एम-15,41 से 45 वर्ष के लिए एम-14, और 46 से 50 वर्ष के लिए एम-13, फिर हर पांच साल के लिए दो इकाइयों द्वारा कम किया जाना चाहिए, यानी 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11,56 से 60 वर्ष के लिए एम-9,61 से 65 वर्ष के लिए एम-7 और एम-5।"

डी.

ई.

(रेश्मा कुमारी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने सरला वर्मा (ऊपर) में तैयार किए गए चार्ट के कॉलम 4 की पुष्टि की, और कहा कि यह लागू किए जाने वाले गुणक को निर्धारित करने में एकरूपता और निरंतरता प्रदान करेगा।प्रणय सेठी (ऊपर) में संविधान पीठ ने सरला वर्मा (ऊपर) में बताए गए गुणक को तय करने वाले चार्ट की पुष्टि की और कहाः–

च

“44. इस स्तर पर, हमें तुरंत यह कहना चाहिए कि जहां तक उपरोक्त गुणक/गुणक का संबंध है, इसे मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित आय के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।भविष्य की संभावनाओं को प्रतिशत के आधार पर राशि में जोड़ा जाना है और "आय" का अर्थ है भुगतान किए गए कर से कम वास्तविक आय।सरला वर्मा में गुणक पहले ही तय किया जा चुका है जिसे रेशमा कुमारी में मंजूरी दी गई है जिससे हम सहमत हैं।

जी.

एच.

... ए.

682 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

59.6.गुणक का चयन उस निर्णय के पैराग्राफ 42 के साथ पठित सरला वर्मा की तालिका में दर्शाए गए अनुसार होगा।"

(जोर दिया गया)

(ग**)** अविवाहित व्यक्ति के मामले में भी गुणक निर्धारित करने के लिए मृतक की आयु आधार होनी चाहिए।

सरला वर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुणक का निर्धारण मृतक की आयु के संदर्भ में किया जाना चाहिए।बाद में रेशमा कुमारी (ऊपर) में इसकी पुष्टि की गई और निर्णयों की एक श्रृंखला में इसका पालन किया गया।

ग

मुन्ना लाल जैन और अन्य बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ।विपिन कुमार

शर्मा और अन्य, 7 ने अभिनिर्धारित किया कि इस मुद्दे का निर्णय रेशमा कुमारी (उपरोक्त) में किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुणक मृतक की आयु के संदर्भ में होना चाहिए।मुन्ना लाल जैन (उपरोक्त) मामले में फैसले के बाद सुबे सिंह मामले में इस अदालत की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।

डी.

& ओआरएस. वी.श्याम सिंह (मृत) और अन्य। 8 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ

v. प्रणय सेठी और अन्य, 9 ने सरला वर्मा (ऊपर) और रेशमा कुमारी (ऊपर) में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की और कहा कि गुणक को लागू करने के लिए मृतक की आयु आधार होनी चाहिए।

ई.

रॉयल सुंदरम एलायंस में तीन न्यायाधीशों की एक और पीठ

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाममंडला यादगारी गौड़ और अन्य, 10 का पता चला

इस मुद्दे पर कानून, और यह अभिनिर्धारित किया कि मुआवजे की गणना इस आधार पर की जानी है कि मृतक ने आश्रितों की सहायता के लिए क्या योगदान दिया होगा।विवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, यह एक स्वीकृत मानदंड है कि मृतक की आयु को ध्यान में रखा जाएगा।इस प्रकार, एक कुंवारे के मामले में भी, वही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।उपरोक्त कानूनी स्थिति की हाल ही में इसके द्वारा पुनः पुष्टि की गई है।

च

सुनीता टोकस और ओआरएस बनाम में न्यायालय।न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। 11.

जी.

7 (2015) 6 एससीसी 347। 8 (2018) 3 एससीसी 18। 9 (2017) 16 एससीसी 680। 10 (2019) 5 एससीसी 554। 11 2019 (11) स्केल 24।

एच.

683

क.

(घ**)** भविष्य की संभावनाएँ

बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ती उपभोक्ता कीमतों और जीवन के सामान्य मानकों के मद्देनजर, भविष्य की संभावनाओं को न केवल मृतक की स्थिति या शैक्षिक योग्यता के संबंध में ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि उच्च वेतन और भत्ते जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो इन दिनों निजी कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हैं।निर्भरता के नुकसान का निर्धारण करने के लिए उन महँगाई भत्ते और भत्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनसे परिवार को मासिक लाभ प्राप्त होता।

सरला वर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

ग

“24. सुसम्मा थॉमस में, इस अदालत ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित में, आय में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अबती बेजबरूआ में आय में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।अभेद्य और अनिश्चितताओं को देखते हुए, हम भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की वास्तविक वेतन आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ने के नियम को अपनाने के पक्ष में हैं, जहां मृतक की स्थायी नौकरी थी और वह 40 वर्ष से कम उम्र का था।[जहाँ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहाँ 'वास्तविक वेतन' शब्दों को 'वास्तविक वेतन कम कर' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष की हो तो यह वृद्धि केवल 30 प्रतिशत होनी चाहिए।जहाँ मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, वहाँ कोई जोड़ नहीं होना चाहिए।यद्यपि साक्ष्य वृद्धि के एक अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन विभिन्न मापदंडों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है।जहां मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय लेती हैं।विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही इससे प्रस्थान किया जाना चाहिए।"

डी.

ई.

च

(प्राणय सेठी (ऊपर) में, संविधान पीठ ने सरला वर्मा (ऊपर) सहित भविष्य की संभावनाओं के मुद्दे पर सभी न्यायिक उदाहरणों का मूल्यांकन किया और भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने के लिए एक निश्चित मानक तैयार किया।यह आयोजित किया गया थाः

जी.

एच.

क.

“57. अपनी चिंता को ध्यान में रखते हुए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि जब हम मानकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो स्व-नियोजित या एक निश्चित वेतन पर रहने वाले व्यक्ति पर उक्त सिद्धांत को लागू नहीं करने का वास्तव में कोई तर्क नहीं है।मृत्यु के समय वास्तविक आय के सिद्धांत का पालन करना और गुणा राशि के निर्धारण के उद्देश्य से आय में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कोई राशि नहीं जोड़ना अन्यायपूर्ण होगा।मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि विधि अधिनियम की धारा 168 के तहत न्यायसंगत मुआवजे के दायरे में आ जाए। एक मृतक के मामले में, जिसने वार्षिक वृद्धि के अंतर्निहित अनुदान के साथ स्थायी नौकरी की थी, एक स्वीकार्य निश्चितता है।लेकिन यह कहना कि एक मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जो एक निश्चित वेतन पर थे, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ के हकदार नहीं होंगे, अनुचित होगा।ऐसा इसलिए है क्योंकि उस घटना में दोनों के बीच अंतर का मानदंड एक ओर निश्चितता और दूसरी ओर स्थिरता होगी।कोई यह समझ सकता है कि तुलनात्मक उपाय एक ओर निश्चितता और दूसरी ओर अनिश्चितता है, लेकिन ऐसी धारणा गलत है।ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य वृद्धि एक स्व-नियोजित व्यक्ति को प्रभावित करती है और इसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास किया जाता है।स्थायी नौकरी पर एक वेतनभोगी व्यक्ति की क्रय क्षमता जब वेतन वृद्धि और वेतन संशोधन या सेवा शर्तों में किसी अन्य

बदलाव के कारण बढ़ती है, तो कर्मचारियों से बेहतर दक्षता प्राप्त करने के लिए वेतन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में हमेशा एक प्रतिस्पर्धी रवैया होता है।इसी तरह, एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है, वह अपने संसाधनों को जुटाने और अपने शुल्क/शुल्क बढ़ाने के लिए बाध्य है ताकि वह समान सुविधाओं के साथ रह सके।यह धारणा रखना कि उसके स्थिर रहने और उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है, मानव दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ चलने और बदलने का इरादा रखता है।यद्यपि यह उचित प्रतीत हो सकता है कि स्थायी नौकरी रखने वाले व्यक्ति के मामले के विपरीत मौजूदा आय में भविष्य की संभावनाओं के अतिरिक्त निश्चितता नहीं हो सकती है, फिर भी उक्त धारणा वास्तव में स्वीकृति के योग्य नहीं है।हम ए झुके हुए हैं

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

685

यह सोचना कि उस प्रतिशत के संबंध में कुछ अंतर हो सकता है जो उन कानूनी प्रतिनिधियों के लिए है या उनके संबंध में लागू किया जाता है जो मृतक की ओर से दावा करते हैं, जिनके पास स्थायी नौकरी थी, उस व्यक्ति की तुलना में जो स्व-नियोजित है या एक निश्चित वेतन पर है।लेकिन मानकीकरण के सिद्धांत को निश्चितता की कथित कमी की नींव पर लागू नहीं करना जमीनी वास्तविकता के मज़ा से अनजान रहने के समान होगा।और, इसलिए, डिग्री-परीक्षण अनिवार्य है।जब तक डिग्री-परीक्षण लागू नहीं किया जाता है और पक्षकारों को स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है, यह अनुचित और असमान होगा।डिग्री-परीक्षण में प्रतिशत की अंतर्निहित अवधारणा होनी चाहिए।समय के साथ, बदलते समाज, मूल्य में वृद्धि, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन, जीवन के एक विशेष स्वरूप का पालन करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण आदि जैसे संचयी कारकों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की स्थापित आय का 40 प्रतिशत और जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, वहां 25 प्रतिशत की वृद्धि उचित होगी, जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी।

ग

डी.

59. विवाद यहीं खत्म नहीं होता।सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक होने पर कोई जोड़ नहीं होना चाहिए।सरला वर्मा सोचती हैं कि कोई भी राशि नहीं जोड़ना उचित है और रेशमा कुमारी में इसे मंजूरी दी गई है। न्यायिक नोटिस इस तथ्य पर लिया जा सकता है कि वेतन समान नहीं रहता है।जब कोई व्यक्ति स्थायी नौकरी में होता है, तो हमेशा किसी न किसी कारण से वृद्धि होती है।50 वर्षों के बाद कोई जोड़ नहीं होगा, इस नियम को लागू करना एक अस्वीकार्य अवधारणा होगी।हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है तो 15 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए और उसके बाद कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।इसी तरह, स्व-नियोजित या निश्चित वेतन पर व्यक्ति के मामले में, 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए।उपरोक्त मानदंड तय किए गए हैं ताकि न्यायाधिकरणों और अदालतों के दृष्टिकोण में एकरूपता हो सके।

ई.

च

जी.

59. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैंः

... ए.

एच.

59.3.आय का निर्धारण करते समय**,** भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का **50** प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए**,** जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु **40** वर्ष से कम थी।यदि मृतक की आयु **40** से **50** वर्ष के बीच है तो यह वृद्धि **30** प्रतिशत होनी चाहिए।यदि मृतक की आयु **50** से **60** वर्ष के बीच थी**,** तो वृद्धि **15** प्रतिशत होनी चाहिए।वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन रहित कर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

59.4.यदि मृतक स्व**-**नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था**,** तो स्थापित आय का **40** प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु **40** वर्ष से कम थी।**25** प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु **40** से **50** वर्ष के बीच थी और **10** प्रतिशत जहां मृतक की आयु **50** से **60** वर्ष के बीच थी**,** को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए।स्थापित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना।**...”**

ग

डी.

(जोर दिया गया)

(ई**)** तीन पारंपरिक प्रमुख

प्रणय सेठी (ऊपर) में, संविधान पीठ ने कहा कि मृत्यु के मामलों में, मुआवजा केवल तीन पारंपरिक शीर्षों के तहत दिया जाएगा, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पारंपरिक और पारंपरिक शीर्षों को प्रतिशत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक स्वीकार्य मानदंड नहीं होगा।आय के निर्धारण के विपरीत, उक्त शीर्षों की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए, जो एक उचित आधार पर आधारित होनी चाहिए।यह देखा गया कि मूल्य सूचकांक, बैंक ब्याज में गिरावट, दरों में वृद्धि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पारंपरिक शीर्षों, अर्थात् संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च पर उचित आंकड़े रु। 15, 000/-, रु। 40, 000/- और रु। 15, 000/- क्रमशः।न्यायालय का विचार था कि इन पारंपरिक शीर्षों के तहत दी जाने वाली राशि में हर तीन साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे इन शीर्षों के संबंध में एकरूपता आएगी।

ई.

च

जी.

क**)** संपत्ति का नुकसान**-**रु। **15, 000** दिए जाएंगे ख**)** कंसोर्टियम ए का नुकसान

एच.

कानूनी भाषा में, कंसोर्टियम के नुकसान का ऐतिहासिक रूप से एक संकीर्ण अर्थ दिया गया था कि केवल पति या पत्नी को दिया जाए, यानी कंपनी के लिए पति या पत्नी का अधिकार, देखभाल, मदद, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और अपने

साथी के साथ यौन संबंध।साथी, प्यार, देखभाल और सुरक्षा आदि की हानि, जो जीवनसाथी पाने का हकदार है, उसे उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।संघ के नुकसान के लिए गैर-आर्थिक नुकसान की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे विभिन्न क्षेत्राधिकारों में मुआवजा देने के लिए प्रमुख शीर्षों में से एक है। अंग्रेजी अदालतों ने अस्थायी अक्षमता की अवधि के दौरान भी जीवनसाथी के मुआवजे प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी है।

ग

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनानू राम और ओआरएस।, 12

इस न्यायालय ने "संघ" की व्याख्या एक समग्र शब्द के रूप में की, जिसमें पति-पत्नी संघ, माता-पिता संघ के साथ-साथ संतान संघ भी शामिल हैं।संघ के अधिकार में मृतक की कंपनी, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक नुकसान है।जीवनसाथी के संबंध में, इसमें मृत जीवनसाथी के साथ यौन संबंध शामिल होंगे।

डी.

माता-पिता की समय से पहले मृत्यु होने पर बच्चे को माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए माता-पिता का संघ दिया जाता है।

ई.

संतान संघ बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवजे के लिए माता-पिता का अधिकार है।एक दुर्घटना जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है, मृतक के माता-पिता और परिवार के लिए बहुत सदमे और पीड़ा का कारण बनती है।माता-पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना है।बच्चों को उनके प्यार और स्नेह और परिवार इकाई में उनकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है।

च

दुनिया भर के आधुनिक न्यायालयों ने माना है कि बच्चे के संघ का मूल्य बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है।अधिकांश क्षेत्राधिकार माता-पिता को बच्चे की मृत्यु पर संघ के नुकसान के तहत मुआवजे से सम्मानित करने की अनुमति देते हैं।माता-पिता को दी जाने वाली राशि मृतक बच्चे के प्यार और स्नेह, देखभाल और साहचर्य के नुकसान के लिए मुआवजा है।

जी.

12 (2018) 18 एससीसी 130।

एच.

क.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक लाभकारी कानून है जिसे पीड़ितों या उनके परिवारों को वास्तविक दावों के मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।यदि माता-पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित बेटे या बेटी को खो दिया है, तो माता-पिता फिलियल कंसोर्टियम के प्रमुख के तहत संघ के नुकसान से सम्मानित होने के हकदार हैं।पेरेंटल कंसोर्टियम उन बच्चों को दिया जाता है जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता-पिता की देखभाल और सुरक्षा खो देते हैं।

हानि संघ के लिए दी जाने वाली राशि के अनुसार होगी

प्रणय सेठी (ऊपर) में निर्धारित राशि।

इस स्तर पर, हम संघ के अनुदान और प्रेम और स्नेह के नुकसान के संबंध में एकरूपता प्रदान करना आवश्यक समझते हैं।कई न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय संघ के नुकसान और प्यार और स्नेह के नुकसान दोनों के लिए मुआवजा दे रहे हैं।प्रणय सेठी (ऊपर) में संविधान पीठ ने केवल तीन पारंपरिक शीर्षों को मान्यता दी है जिनके तहत मुआवजा दिया जा सकता है जैसे संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च।

ग

डी.

मैग्मा जनरल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पति-पत्नी संघ, माता-पिता संघ के साथ-साथ संतान संघ को शामिल करने के लिए संघ को एक व्यापक व्याख्या दी।प्रेम और स्नेह के नुकसान को संघ के नुकसान में समझा जाता है।

ई.

न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों को संघ के नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो एक वैध पारंपरिक प्रमुख है।एक अलग प्रमुख के रूप में प्यार और स्नेह की हानि के लिए मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।

ग**)** अंत्येष्टि का खर्च**-**रु। **15, 000** दिए जाएंगे

च

उपरोक्त पारंपरिक शीर्षों को हर तीन साल में @10% संशोधित किया जाना है।

9. हम अब इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को लागू करेंगे, ताकि वर्तमान मामले में मृतक सतपाल सिंह के आश्रितों को देय मुआवजे की गणना की जा सके।

जी.

9.1.हम सबसे पहले मृतक की आय का आकलन करने के मुद्दे पर विचार करेंगे।एम. ए. सी. टी. ने मान लिया कि मृतक एक कुशल श्रमिक था, और उसकी आय रु। 4, 000 बजे। यह ध्यान देने योग्य है कि 1984 में मृतक की आय उसके रोजगार अनुबंध प्रपत्र दिनांक ए के अनुसार थी।

एच.

689

21.08.1984, कतरी रियाल में शाम का समय 750 बजे था। इस दस्तावेज़ को दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था।

यह दुर्घटना 18.11.1998 पर हुई, जो उनके दोहा स्थानांतरित होने के 15 साल बाद की है।एम. ए. सी. टी. यह नहीं मान सकता था कि मृतक की आय रु. दोहा में 14 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद शाम 4,000 बजे।

उच्च न्यायालय ने गलती से मृतक सतपाल सिंह को वीजा जारी करने के लिए हाई स्पीड समूह द्वारा काउंसलर, न्यूजीलैंड वाणिज्य दूतावास को लिखे गए पत्र के आधार पर मुआवजा भी दिया है, जो 1984 से उनके संगठन से जुड़े हुए थे और 6,700 डॉलर प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रहे थे।

ग

बीमा कंपनी ने इस पत्र की प्रामाणिकता पर गंभीरता से विवाद किया है।

डी.

हमने उक्त पत्र का अवलोकन किया है और बीमा कंपनी की ओर से दिए गए इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि उक्त दस्तावेज को राजनयिक और वाणिज्य दूतावास कार्यालय शपथ और शुल्क अधिनियम, 1948 के अनुसार दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

ई.

उक्त दस्तावेज़ दावेदारों द्वारा साबित नहीं किया गया था, और मृतक की आय की गणना का आधार नहीं बन सकता है।

27.06.1997 दिनांकित पत्र दो अन्य आधारों के लिए संदिग्ध प्रतीत होता है।एक, दोहा में भारतीय दूतावास द्वारा प्रमाणित रोजगार अनुबंध प्रपत्र दिनांक 21.08.1984 के अनुसार, मृतक को 1984 में अली अल फयाद ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एस्ट, दोहा फर्म द्वारा नियुक्त किया गया था।हाई स्पीड ग्रुप द्वारा जारी 27.06.1997 दिनांकित पत्र में कहा गया है कि मृतक 1984 से उनके साथ कार्यरत था।इससे पत्र की प्रामाणिकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।इसके अलावा, वेतन का उल्लेख कतरी रियाल के बजाय अमेरिकी डॉलर में किया गया है, भले ही हाई स्पीड ग्रुप कतर में एक स्थानीय कंपनी है।

च

जी.

दूसरा, 27.06.1997 दिनांकित पत्र काउंसलर, न्यूजीलैंड वाणिज्य दूतावास को ए वीजा के लिए संबोधित किया गया था।

एच.

जून-अगस्त, 1997 की अवधि के दौरान न्यूजीलैंड में अपनी वार्षिक छुट्टी के लिए मृतक को जारी किया गया।हालाँकि, पासपोर्ट प्रविष्टियाँ यह नहीं दर्शाती हैं कि मृतक ने न्यूज़ीलैंड की यात्रा की थी।

नतीजतन, हमें दिनांकित 27.06.1997 पत्र की प्रामाणिकता और सत्यता के बारे में गंभीर संदेह है, और हम इसे मृतक की मृत्यु के समय की आय की गणना का आधार बनाने से इनकार करते हैं।

उच्च न्यायालय ने दिनांकित 27.06.1997 पत्र पर भरोसा करते हुए एक करोड़ रुपये की राशि का आदेश दिया। दावेदारों को 1,93,56,000, जो अंशदायी लापरवाही के कारण 50 प्रतिशत कम होने के बाद, रु। 96,78,000।यह ध्यान देने योग्य है कि दावेदारों ने रुपये की राशि के लिए प्रार्थना की थी। एम. ए. सी. टी. के समक्ष उनकी दावा याचिका में मुआवजे के रूप में 50 लाख। उच्च न्यायालय ने एक असत्यापित दस्तावेज के आधार पर ऐसी अत्यधिक राशि देने में त्रुटि की है, जिसकी प्रामाणिकता गंभीर रूप से विवादित थी।दावेदारों द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अभाव में, मृतक की आय की गणना एक कुशल मजदूर के रूप में 1984 में 750 कतरी रियाल पर उसका मूल वेतन लेकर की जानी चाहिए, जैसा कि उसके रोजगार अनुबंध प्रपत्र में दर्शाया गया है।

ग

डी.

ई.

मृतक की पासपोर्ट प्रविष्टियों के अवलोकन से पता चलता है कि वह 1998 में निधन होने तक कतर में 14 साल से अधिक समय तक नौकरी में रहा था।वह स्पष्ट रूप से काफी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि दोहा में उनके 14 वर्षों के प्रवास के दौरान

उनके पासपोर्ट में विदेश यात्रा की कई प्रविष्टियां हैं।1984 से 1998 तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि लेने से मृतक की अनुमानित आय 2590 कतरी रियाल पर निर्धारित की जा सकती है, जिसे 2600 कतरी रियाल पर पूरा किया जा सकता है। 1998 में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार, 1 कतरी रियाल 12.41 INR के बराबर था। तदनुसार, मृतक की आय 2600 x 12.41 = रु. होगी। 32, 266 पी. एम. अर्थात रु. 3,87,192 पी. ए.

च

जी.

9.2.यद्यपि सरला वर्मा (उपर्युक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती ए होनी चाहिए।

एच.

691

1/4 यदि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या चार है, तो वर्तमान मामले में, हमें लगता है कि मृतक की आय का 50 प्रतिशत काटना आवश्यक होगा, क्योंकि वह विदेश में रह रहा था।

मृतक को वहाँ एक प्रतिष्ठान रखना पड़ता था, और विदेश में रहने की उच्च लागत के अनुरूप उसी के लिए खर्च करना पड़ता था।इसलिए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने उनकी आय का 50 प्रतिशत व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए काट लिया।

9.3.वर्तमान मामले में, निचली अदालतें भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि देने में विफल रहीं।मृतक सतपाल सिंह की मृत्यु के समय उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी।प्रणय सेठी (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, दावेदारों को देय मुआवजे की गणना करने के लिए भविष्य की संभावनाओं @30% को सम्मानित किया जाना है।9.4.इसलिए मुआवजे की गणना के लिए गुणक राशि रु। 3,87,192-50% + 30% = रु। 2,51,675।

ग

डी.

9.5.मृतक सतपाल सिंह की मृत्यु के समय उनकी आयु 40 वर्ष थी।तदनुसार, सरला वर्मा में निर्धारित तालिका के अनुसार 15 का गुणक उपयुक्त गुणक होगा।

ई.

(ऊपर)।

9.6.रुपये के गुणक को गुणा करना। 2,51,675 15 के गुणक से, दावेदारों को देय निर्भरता का नुकसान रु। 37,75,125।

च

9.7.जहाँ तक पारंपरिक प्रमुखों का संबंध है, मृतक सतपाल सिंह अपने पीछे एक विधवा और तीन बच्चों को आश्रित के रूप में छोड़ गए।प्रणय के निर्णयों के आधार पर

सेठी (ऊपर) और मैग्मा जनरल (ऊपर), निम्नलिखित

राशि पारंपरिक शीर्षों के तहत प्रदान की जाती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -(i) संपत्ति का नुकसानःरु. 15, 000

जी.

(ii) संघ का नुकसानः क) पति-पत्नी संघः रु. 40, 000

ख) माता-पिता का संघः 40,000 x3 = रु। 1,20,000 iii) अंतिम संस्कार का खर्चः रु. 15, 000 ए

एच.

692

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 5 एस सी आर।

9.8. हम एम. ए. सी. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा अंशदायी लापरवाही के लिए की गई 50 प्रतिशत की कटौती की पुष्टि करते हैं।

10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, दावेदारों को निम्नलिखित रूप में मुआवजा दिया जाता हैः

(i) आयः

रु. 3,87,192 पी. ए.

(ii) कटौती

व्यक्तिगत खर्चः

50%

iii) भविष्य की संभावनाएँः

30%

(iv) गुणांकः

रु. 2,51,675

ग

(3,87,192-50%+30%)

v) गुणकः

15

vi) निर्भरता का नुकसानः

रु. 37,75,125

(2,51,675 x 15)

डी.

vii) अंतिम संस्कार का खर्चः

रु. 15, 000

viii) संपत्ति का नुकसानः

रु. 15, 000) स्पौसल कंसोर्टियम का नुकसानःरु. 40, 000 x) माता-पिता के संघ का नुकसान

ई.

तीन बच्चों में से प्रत्येकः

रु. 1,20,000

xi) कुल क्षतिपूर्तिः

रु. 39,65,125

xii) अंशदायी लापरवाही के कारण कटौतीः50%

च

भुगतान किए जाने वाले कुल मुआवजेः

रु**. 19,82,563**

11. इस न्यायालय ने दिनांक 13.10.2014 के आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा रुपये की राशि जमा करने के अधीन विवादित फैसले के संचालन पर रोक लगा दी थी। विचारण न्यायालय के समक्ष 10 लाख।दावेदारों को इसे वापस लेने की स्वतंत्रता दी गई थी।

जी.

12. अपीलार्थी-बीमा कंपनी को इस निर्णय की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मुआवजे की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

एच.

693

क.

13. मृतक सतपाल सिंह की मृत्यु 18.11.1998 पर हुई थी।उसके आश्रित पिछले 22 वर्षों से मुआवजे के लिए कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं।नतीजतन, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर वसूली तक दिए गए कुल मुआवजे पर ब्याज का भुगतान किया जाए।

14. दावेदार संख्या 1 अर्थात मृतक की विधवा को इस दुर्घटना में 25 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अकेले अपने तीन नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण किया है, और कृषि गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाई है।

ग

हम निर्देश देते हैं कि कुल मुआवजे (ब्याज सहित) का 50 प्रतिशत दावेदार संख्या 1 यानी मृतक की विधवा को दिया जाए और शेष 50 प्रतिशत तीन बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाए।

15. दीवानी अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

डी.

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

ई.

च

जी.

एच.